



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042025-262174
CG-DL-E-01042025-262174

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1522]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2025/ चैत्र 11, 1947

No. 1522]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2025/ CHAITRA 11, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2025

का.आ. 1540(अ).—जबकि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का. आ. 1536 (अ) दिनांक 30 मार्च, 2025 के तहत नागालैंड राज्य के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों को 1 अप्रैल, 2025 से 6 महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

और जबकि, नवंबर, 2024 में नागालैंड सरकार ने 'फेक' ज़िले को काटकर, जिसे उपरोक्त शक्तियों के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है, 'मेलुरी' ज़िला बनाया था।

अब इसलिए, अधिसूचना संख्या का. आ. 1536 (अ) दिनांक 30 मार्च, 2025 के आंशिक संशोधन में जिले 'मेलुरी' को भी सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 के तहत 1 अप्रैल, 2025 से छः माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है।

[फा.सं.7/10/2003-एन.ई.-I]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2025

S.O. 1540(E).—**Whereas** the Central Government in exercise of the powers conferred by section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared 8 districts and 21 police Stations in 5 other districts of the state of Nagaland as 'disturbed area' for a period of 6 months with effect from 1st April, 2025 vide notification number S.O. 1536(E) dated 30th March, 2025.

And whereas, in November, 2024, the Government of Nagaland created the district of 'Meluri' by carving it out of 'Phek' district, which has been declared a 'disturbed area' under the aforementioned powers.

Now therefore, in partial modification of notification number S.O. 1536 (E) dated 30th March, 2025, the district 'Meluri' is also declared as 'disturbed area' under section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) for a period of 6 months with affect from 1st April, 2025 unless withdrawn earlier.

[F. No.7/10/2003-NE.I]

PIYUSH GOYAL , Addl. Secy.